Regn. No. S - 8149/1976
Email : aryasabha@yahoo.com
Website : delhisabha.org

✡ ओ३म् ✡

२३३६०१५०
२३३६५६५६
फैक्स : २३३६५६५६

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा (पं०)

The Delhi Arya Pratinidhi Sabha

१५–हनुमान् रोड, नई दिल्ली – ११०००१

क्रमांक :..... दिनांक : .....

प्रेस विज्ञप्ती

दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई आर्य समाज के नाम पर चल रही नकली संस्थाओं में विवाहों पर रोक।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यमुना बाजार आदि स्थानों पर स्थित नकली आर्यसमाजों में अवैध रुप से हो रहे विवाहों पर सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस हीमा कोहली जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज केस नम्बर **W.P.(CRL) 1583/2010** में सुनवाई के दौरान दिल्ली की आर्यसमाजों की शिरोमणी संस्था "दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15–हनुमान् रोड, नई दिल्ली के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए भारत के सविधान के अधिनियम **"आर्य विवाह विधि मान्य अधिनियम 1937"** का हवाला देते हुए उक्त आदेश पारित किया। जिसके आधार पर अब नकली आर्यसमाजें विवाह नहीं करा सकेगी तथा इससे युवाओं की भावनाओं का लाभ उठाकर कुछ लोग जो शोषण किया करते थे, उस पर रोक लगेगी। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य ने कहा कि दिल्ली में जिन आर्यसमाजों के मन्दिरों में विधिपूर्वक सविधान अनुसार विवाह कराने की व्यवस्था है तथा समस्त कार्यवाही पूरा करने के पश्चात् प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है उनकी सूची सभा की वेबसाइट www.thearyasamaj.org पर प्रदर्शित की गई है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि इस बारे में सभी को जागरुक करें। आदेश की पूर्ण प्रति जल्दी ही सभा की वेबसाइट पर भी देखी जा सकेगी।

ज्ञातव्य हो कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली की समस्त आर्यसमाजों का प्रतिनिधित्व करने वाली शिरोमणि संस्था है। दिल्ली की समस्त आर्यसमाजें इस से सम्बन्धित होकर कार्य करती हैं। लम्बे समय से कुछ लोग आर्यसमाज के नाम पर विवाह कराने का अवैध कार्य कर रहे थे। जिस पर रोक लगाने के लिए सभा काफी समय से प्रयासरत थी। नकली आर्यसमाजें गलत तरीके और बिना कागजी कार्यवाही पूरी किये केवल धन के लालच से विवाह कराने का कार्य कर रही थी जिससे सामाजिक कार्य करने वाली विश्वविख्यात संस्था आर्यसमाज की छवि खराब होती थी।

यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी तथा अभी न्यायालय में सुनवाई आगे चलेगी।

सम्पर्क: विनय आर्य
9958174441

राजेन्द्र दुर्गा
प्रेस अधिकारी